

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
//आदेश//

रायपुर, दिनांक 11/5/2017

क्रमांक एफ 1-27/2015/स्था/चार :: राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2015 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वित्त विभाग में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (लेखाधिकारी) के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशांसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परीक्षा पर छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (लेखाधिकारी) के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रूपये 15600-39100 ग्रेड वेतन रूपये 5400/- में अनन्तिम (Provisional) रूप से कडिका 2.1 से 2.13 में उल्लेखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य लेखा सेवा लेखाधिकारी का मुख्य सूची का सरल क्र.	नाम पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	चयन का वर्ग
1.	1	कु0 अमिता गुप्ता पिता-श्री जगन्नाथ गुप्ता पता-राजकमल भवन, चन्द्रा चौक, हेमूनगर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़	अनारक्षित
2.	2	सुश्री श्रुति गोयल पिता-श्री सज्जन गोयल पता-जवाहर मार्केट, महारानी लक्ष्मी बाई वार्ड, गली नंबर-31, अंबिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)	अनारक्षित
3.	3	सुश्री प्रतिभा चंदेल पिता-श्री श्याम चंदेल पता-मार्केटिंग सोसायटी के पीछे, वार्ड क्रमांक-05, लोरमी, जिला-मुंगेली (छ.ग.)	अनारक्षित
4.	4	श्री निखिल कुमार अग्रवाल पिता-श्री कृष्णचंद्र अग्रवाल पता-मार्केट रोड छुरी, तहसील एवं थाना-कटघोरा, पोस्ट-जमनीपाली, जिला-कोरबा, (छ.ग.)	अनारक्षित
5.	5	सुश्री शिखा जैन पिता-श्री प्रकाश चंद्र जैन पता-जैन जनरल स्टोर, जेल रोड, पोस्ट-बैंकुठपुर, जिला कोरिया (छ.ग.)	अनारक्षित
6.	6	सुश्री ऋतु कौशिक पिता-श्री दुर्गेश कौशिक पता- ग्राम-नगपुरा, पोस्ट-सिरगिट्टी, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अनारक्षित



निरंतर..2..

7.	7	श्री जय कुमार सिंह पिता-श्री बालेश्वर सिंह पता-ग्राम-करही, पोस्ट-कीकाराडा, तहसील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा, (छ.ग.)	अनारक्षित
8.	9	श्री उत्कर्ष रजक पिता-श्री उत्तम रजक पता-ग्राम-रनभांठा, ब्लाक-पुसौर, पोस्ट-बुनगा, जिला-रायगढ़, (छ.ग.)	अनारक्षित
9.	10	सुश्री सुष्मिता भारतीय कश्यप पिता-श्री गोरेलाल कश्यप, पता-मकान नंबर-170, तालाबपारा, कमांक-3, ग्राम-पांड, पोस्ट-सैदा, तहसील-तखतपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अन्य पिछड़ा वर्ग
10.	11	श्री सर्वेश यादव पिता-श्री शंकर लाल यादव, पता-ग्राम+पोस्ट-पुछेली, व्हाया-बम्हनीनडीह, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	अन्य पिछड़ा वर्ग
11.	12	श्री धर्मन्द्र पटेल पिता-बुन्दराम पटेल, पता-ग्राम-मड़वाडूमर, पोस्ट-मिलूपारा, थाना-तमनार, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	अन्य पिछड़ा वर्ग
12.	13	कु० प्रीति निषाद पिता-श्री दीनदयाल निषाद पता-सोनार पारा, रतनपुर, पोस्ट-रतनपुर, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अन्य पिछड़ा वर्ग
13.	14	श्री कौशल प्रसाद तेन्दुलकर पिता-स्व.श्री उद्याला राम तेन्दुलकर, पता-ग्राम पंचायत-चिस्दा, पोस्ट-पेण्डी, तहसील-जैजैपुर, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	अनुसूचित जाति
14.	16	सुश्री मधुरिमा बंजारे पिता-स्व.श्री भुरवा प्रसाद बंजारे पता-ग्राम-लाखागढ़, पोस्ट-पिथौरा, जिला-महासमुंद(छ.ग.)	अनुसूचित जाति
15.	17	श्री राजीव कुमार दुबे पिता-श्री बेनीमाधव दुबे, पता-द्वारा-श्री बेनीमाधव दुबे, ग्राम एवं पोस्ट-कोरर, तहसील-भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर (छ.ग.)	अनारक्षित, विकलांग
16.	18	श्री प्रवीण चंद्र भगत पिता-स्व.श्री रोहन राम भगत, पता-6/55, रामपुर रोड, इंदिरानगर, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति
17.	19	श्री नत्थू प्रसाद सिदार पिता-श्री छोटेलाल सिदार, पता-ग्राम-चिखली, पोस्ट-चारपारा, तहसील-मालखरौदा, जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति

निरंतर..3..

18.	21	सुश्री पूजा रानी सोरी पिता-श्री आर.एस.सोरी, पता-प्लैट नंबर-104, वुड आई लैण्ड, अमलेश्वर, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति
19.	22	सुश्री सबीना सिंह पिता-श्री सोसन कुमार सिंह पता-एमआईजी-1/839, हाऊसिंग बोर्ड, इंडस्ट्रियल स्टेट, भिलाई, थाना-जामुल, जिला-दुर्ग	अनुसूचित जनजाति
20.	23	श्री दिवेक कुमार सिंह पिता-श्री एस.एन.सिंह, पता-एचआईजी-1, छत्तीसगढ़ हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, खमतराई, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति
21.	24	श्री घनश्याम ठाकुर पिता-श्री हेमन्त कुमार ठाकुर, पता-ग्राम व पोस्ट-गब्दी, थाना-अर्जुदा, तहसील-गुण्डरदेही, जिला-बालोद (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति
22.	25	श्री राहुल कुमार उयके पिता-श्री रामप्रसाद उयके, पता-ग्राम-कन्हारगांव, पोस्ट-भानुप्रतापपुर, जिला-कांकेर (छ.ग.)	अनुसूचित जनजाति

2/- 2.1 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।

2.2 (अ) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरान्त उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(ब) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियों अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा।

(स) विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी के संबंध में उनके विकलांगता प्रमाण-पत्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाकर प्रस्तुत किया जाए।

2.3 परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में संचालनालय द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा भाग-1 एवं भाग-2 निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण करना होगा ताकि परिवीक्षाधीन अवधि समाप्ति के पश्चात् पदांकन संबंधी आगामी कार्यवाही संचालित की जावेगी।

निरंतर..4..

2.4 अभ्यर्थियों के निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी कराया जायेगा। पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उनका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जायेगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेंगी।

2.5 शासकीय सेवा के दौरान अधिकारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम, 2013 से शासित होंगे।

2.6 उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है। अतः अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे। बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा कार्य की गयी अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा। "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

2.7 उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय संचालनालय कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर अधिकारी के समक्ष (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गयी कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

2.8 जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरान्त ही संबंधित कर्मचारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा।

2.9 चयनित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बांड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गयी राशि की वसूली की जाएगी जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा देयक भी शामिल होगा।

2.10 चयनित आवेदकों की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गयी चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी।

2.11 यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

2.12 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है।

निरंतर..5..



2.13 उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(डॉ.ए.के. सिंह)

उप सचिव

पृ.क्रमांक एफ 1-27/2015/स्था/चार,
प्रतिलिपि :-

नया रायपुर, दिनांक 11/5/2017

- 1 माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, राजभवन, रायपुर
- 2 अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य मंत्री सचिवालय, रायपुर
- 3 महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, छत्तीसगढ़, निमोरा, रायपुर
- 4 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
- 5 सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 3085/36/चयन /2016 रायपुर, दिनांक 7.2.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- 6 मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
- 7 महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर
- 8 संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
- 9 संचालक, स्वास्थ्य सेवायें छ.ग. नया रायपुर। कृपया मेडिकल बोर्ड से उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, स्वास्थ्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र उसे शीघ्र प्रदाय करें। मेडिकल बोर्ड की बैठक तिथि, स्थान व समय की सूचना अभ्यर्थी को उसके वर्तमान पते पर सीधे सूचित करें, ताकि वह निर्धारित समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित हो सके।
- 10 संचालक, जनसंपर्क विभाग, रायपुर
- 11 नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नया रायपुर की ओर राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित हेतु
- 12 संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़ को वित्त विभाग की वेबसाइट http://cgfinance.nic.in/Miscellaneous/main_Circular.asp पर अपलोड करने हेतु
- 13 संभागीय संयुक्त संचालक कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर/अंबिकापुर /दुर्ग, छत्तीसगढ़
- 14 समस्त कोषालय अधिकारी,छत्तीसगढ़
- 15 संबंधित अभ्यर्थी आपको निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति आदेश की पावती एवं सहमति अविर्लंब इस विभाग को भेजे एवं इस आदेश के जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर कार्यालय में मूल प्रमाण-पत्रों सहित उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें।
- 16 आर्डर बुक
----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

शोध अधिकारी

दूरभाष क्र.-0771-2510494